कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 932/21 सी0 दिनांक 24/04/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगांलगढ से दडक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रात्यावर्तन (ऑन लाईन पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/13390/2015**) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/61/2018/एफ0सी0/2139 16.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/61/2018/एफ0सी0/2139 दिनांक 16.01.2019 द्वारा प्राप्त हुई है, विविधवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 5.00 है0 ग्राम रिंगालगढ सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगुने 5.00 है0 ग्राम रिंगालगढ सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1685920.00(सोलह लाख पिच्चासी हजार नौ सौ बीस मात्र) जमा करा दी गयी है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्र सं0 405/XXXVI-AL(2018-19) दिनांक नई टिहरी जून, 30, 2021 के द्वारा किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही खाता खतौनी में अमल दरामद सम्बन्धित दास्तावेज एवं वन विभाग द्वारा उक्त भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Guidline para2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त सं0 02 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दाखिल-खारिज कर लिया गया है।

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 2058615.00 (बीस लाख अठावन हजार छः सौ पन्द्रह रूपये मात्र) जमा कर दी गयी है।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	शर्त सं0–4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी, सभ निधियां (CA cost, NPV etc.) को लैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी।	शर्त सं0–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण क्षतिपूति पूर्वक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 1685920 एंव एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2058615 कुल रू0 3744535 (रू0 सैंतीस लाख चौवालीस हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से जमा कर दिये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 से अधिक न हो।	शर्त सं0–5 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 वृक्ष है।

अतः अनुपालन आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

संलनग्नः– उपरोक्तानुसार।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक /21 सी0 दिनांक / /2024

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालॉनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

शर्त सं0–04

शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्धता सम्बन्धी।

प्रमाण–पत्र

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13390/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मत्रांलय के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/102/ 2018, एफ0सी0/2502, दिनांक 07.02.2020 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में **"शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग थत्यूड जमा कराने हेतु बचनबद्व है"**।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

शर्त सं0–05

"सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा **Central verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में में **Strip Plantatation** करने पर लोक निर्माण विभाग थत्यूड बचनबद्व है"।

प्रमाण–पत्र

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13390/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मत्रांलय के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/102/ 2018, एफ0सी0/2502, दिनांक 07.02.2020 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में "सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा **Central verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में में **Strip Plantatation** करने पर लोक निर्माण विभाग थत्यूड बचनबद्व है"।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– रिंगालगढ़
तहसील :– धनौल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिंगालगढ से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 आरक्षित वन भूमि 2.205 है0 सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 2.295 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिंगालगढ़, द्वारा दिनांक 05/09/15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पचायत रिंगालगढ़
ह0 (हस्ताक्षर)
दि0 05/09/15
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनौल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनौल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (2.295 है0 आरक्षित वनभूमि 2.295 है0, सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 कुल भूमि 2.295 है0) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनौल्टी) के द्वारादिनांक 04/4/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री ~~देवचन्द्र शर्मा~~ लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री के0 पी0 वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री एस.एस. नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्री मगनी देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.295 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्ररताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा रिंगालगढ़ के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

(2)

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनौल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

04/4/16

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनौल्टी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मगनी देवी
सदस्य क्षेत्र पं0 रिंगालगढ़
वि0ख0--जौनपुर टि0ग0

04/4/16
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनौल्टी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगलढ से दडक मोटर माग का निर्माण (लम्बाई 3 कि0मी0)

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के **रिंगालगलढ से दडक** मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295है0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11—9/98—एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	तहसीलदार धनोल्टी टिहरी गढवाल	उपजिलाधिकारी धनोल्टी टिहरी गढवाल

योजना का नाम :- जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण--पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि (सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 व आरक्षित वनभूमि 2.205 है0) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड़ प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.2013 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा – सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Premitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

Anurag कनि0अभि0 अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड।	सहायक अभि0 अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड।	तहसीलदार धनोल्टी	उपजिलाधिकारी धनोल्टी

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल। टिहरी

FORME -I

(For projects other than linear project)

Government of Uttrakhand

No. 3508/XXVI-122(2015-16)

Office of District Collector Tehri Garhwal

Date 19-8-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5 feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.295 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of forest department (Executive Engineer Ty. Division P.W.D Thatyur T.G. (name of user agency) for construction of **Ringalgarh to Darak Motor road length 3.00 km** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of **Ringalgarh** Village(s) in Dhanolti, Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.295 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), gram Sabha(s) Sub – Division level committee and District Level committee are enclosed in annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grams Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Eucl: As above

Executive Engineer	Tehsildar	S.D.M.	District Collector
Ty.Div.PWD Thatyur	Dhanaulti	Dhanaulti	Tehri Garhwal

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of [illegible] I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring **2.295** Hectare for the costruction of Ringalgarh to Darak Motor road in Tehsil Dhanolty of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

It is Further certified that Minutes fo mee **Ringalgarh To Darak Motor Road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.295 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढवाल।

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी
मसूरी।

([illegible])
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।